प्रेस नोट
दिनांक 22.11.2025

थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के 04 आरोपी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मनकापुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 04 आरोपी अभियुक्तगण 01. महबूब पुत्र बुद्ध, 02. मो0 हुसैन पुत्र महबूब, 03. सहबान पुत्र महबूब व 04. गफ्फार पुत्र महबूब नि0 ग्राम दिनकरपुर थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा को उनके घर ग्राम दिनकरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 21.11.2025 को वादी बृजेश कुमार तिवारी पुत्र राजप्रसाद तिवारी ग्राम दिनकरपुर थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली मनकापुर पर सूचना दी गई कि वे 21.11.25 को सुबह अपनी साइकिल पर खेत से वापस घर आ रहे थे तभी रास्ते में विपक्षी गफ्फार पुत्र महबूब के साइकिल का हैण्डल लग गया जिसपर विपक्षी गाली गलौज देने लगे मना करने पर विपक्षी गफ्फार, महबूब, मो0 हुसैन व सहबान द्वारा वादी को जान से मारने की नीयत से सर पर लाठी व सरिया से प्रहार कर दिया, जिससे वादी के सिर में गंभीर चोटें आई और वह मौके पर बेहोश हो गया। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 मनकापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 22.11.2025 को थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त आरोपी अभियुक्तगण 01. महबूब पुत्र बुद्ध, 02. मो0 हुसैन पुत्र महबूब, 03. सहबान पुत्र महबूब व 04. गफ्फार पुत्र महबूब नि0 ग्राम दिनकरपुर थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा को उनके घर ग्राम दिनकरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. महबूब पुत्र बुद्ध,
02. मो0 हुसैन पुत्र महबूब,
03. सहबान पुत्र महबूब व
04. गफ्फार पुत्र महबूब नि0 ग्राम दिनकरपुर थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01 मु0अ0सं0 524/2025 धारा 109(1), 115 बीएनएस थाना मनकापुर, गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. अपराध निरीक्षक श्री हरिश्चन्द्र भारती
02. हे0कां0 राममिलन यादव
03. कां0 आयुष यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट,
दिनांक 22.11.2025, थाना कौडिया
जनपद गोण्डा।

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा डकैती/चोरी की घटना में वांछित 10,000 रु0 का ईनामिया डकैत/चोर को किया गया गिरफ्तार -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-35/2025, धारा 309(4), 331(4), 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित घटना में वांछित व रु0 10,000/- का ईनामिया डकैत/चोर 01. शमशेर अली उर्फ चूहा पुत्र ननकू निवासी ग्राम चयपुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को रामापुर से भैंसहा जाने वाले मार्ग पर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से डकैती/चोरी की 3700/- रू0 नगद बरामद किये गये।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.03.2025 को वादी श्री रामगोपाल पुत्र बैजनाथ निवासी ग्राम कटुआनाला थाना कौडिया, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कौडिया में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 04/05.03.2025 को रात्रि में तीन अज्ञात लोग घर के पीछे से सीढी लगाकर तमंचा, डण्डा लेकर घर में घुस आये और डरा धमका कर मारे पीटे और घर में रखी ज्वैलरी और नगद लेकर चले गये। तहरीर के आधार पर थाना कौडिया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना के दौरान प्रकाश में आये एक आरोपी अभियुक्त को दिनांक 19.05.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था, तथा शमशेर अली फरार चल रहा था। आज दिनांक 22.11.25 को थाना कौड़िया पुलिस द्वारा वांछित व रु0 10,000/- का ईनामिया अभियुक्त शमशेर अली उर्फ चूहा को रामापुर से भैंसहा जाने वाले मार्ग पर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से डकैती/चोरी की 3700/- रू0 नगद बरामद किये गये । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौडिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. शमशेर अली उर्फ चूहा पुत्र ननकू निवासी ग्राम चयपुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. रु0 3700/- नगद बरामद

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-35/2025, धारा 309(4), 331(4), 317(2) बीएनएस थाना कौडिया, जनपद गोण्डा।

शमशेर अली उर्फ चूहा पुत्र ननकू का आपराधिक इतिहास -

01. मु0अ0सं0 551/2003 धारा 216, 216ए भादवि थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 87/2016 धारा 457, 380,411 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0 178/2016 धारा 457/380/411 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

04. मु0अ0सं0 180/2016 धारा 457/380/411 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0 231/2016 धारा 457/380/411 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0सं0 237/2016 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
07. मु0अ0सं0 505/2016 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
08. मु0अ0सं0 79/2017 धारा 401 भादवि थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
09. मु0अ0सं0 80/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम-</u>

01. प्रभारी निरीक्षक गोविन्द कुमार मय हमराह
02. उ0नि0 खुश मोहम्मद
03. उ0नि0 अजय कुमार सिंह
04. उ0नि0 प्रभाकर पान्डेय
05. हे0का0 रुपेश कुमार
06. का0 नीरज सिंह
07. का0 अनुज कुमार
08. का0 इन्दर कुमार यादव
09. का0 महेन्द्र पाण्डेय
10. का दिग्विजय सिंह

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 22.11.2025

"ऑपरेशन साइबर कवच" के दृष्टिगत साइबर अपराध थाना द्वारा पीड़िता की फ्रॉड गयी 16,12,837/- रूपये कराए गए वापस, पैसे वापस मिलने पर पीड़ित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़ित ने गोण्डा पुलिस को किया धन्यवादः-

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड अपराध की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चले जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में साइबर अपराध थाना जनपद गोण्डा की टीम द्वारा पीड़ित की फ्रॉड गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए धनराशि 16,12,837/- पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.07.2025 आवेदक श्री आलोक भारद्वाज द्वारा साइबर अपराध थाना जनपद गोण्डा पर लिखित तहरीर दी गई कि साइबर अपराधियों द्वारा उनसे पुराने बीमा पर कमीशन में लाभ देने का लोभ देते हुए 18 फर्जी बीमा कराकर धोखाधड़ी की गई है । प्राप्त तहरीर के आधार पर साइबर अपराध थाना जनपद गोण्डा पर मु0अ0सं0 09/2025 धारा 419/420 भादवि व 66 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया । साइबर अपराध थाना प्रभारी निरीक्षक श्री सत्य प्रकाश यादव के नेतृत्व में साइबर अपराध थाना की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए विभिन्न बीमा कंपनियो से संपर्क स्थापित कर सभी बीमा को रद्द कराते हुए वादी के खाते में 16,12,837/- की धनराशि को वादी के खाते में वापस कराया गया । पीड़ित द्वारा अपने रुपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए गोण्डा पुलिस को धन्यवाद दिया गया।

नोट- साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना अंकित कराये, सूचना विलम्ब से देने पर साइबर अपराधियों द्वारा धन निकाल लिया जाता है। धन निकलने के उपरान्त पैसे वापस होने की सम्भावना बहुत कम होती है। लोगो को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएँ।

साइबर सुरक्षा टिप्स-

01. ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।

08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक – 22.11.2025
जनपद – गोण्डा

“यातायात माह नवंबर-2025” के अंतर्गत ई-रिक्शा चालकों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं हेलमेट वितरण कार्यक्रम आयोजित –

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में “यातायात माह नवंबर-2025” के अंतर्गत जनपद में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जन-जागरूकता के विविध कार्यक्रम निरंतर संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 22.11.2025 को प्रभारी यातायात श्री जगदम्बा गुप्ता, टी0एस0आई0 श्री राकेश कुमार, तथा आरक्षी संदीप यादव द्वारा जिला अस्पताल, गोण्डा में ई-रिक्शा चालकों के लिए निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर के दौरान कुल 39 ई-रिक्शा चालकों की आँखों की जाँच की गई तथा उन्हें सुरक्षित ड्राइविंग हेतु आवश्यक चिकित्सीय परामर्श प्रदान किया गया। इस दौरान चालकों को स्पष्ट दृष्टि के महत्व, सुरक्षित ड्राइविंग, ओवरलोडिंग से बचने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, नशे की हालत में वाहन न चलाने एवं सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के संबंध में जागरूक किया गया।

इसके अतिरिक्त इसी अभियान के क्रम में मैंजापुर चीनी मिल में टी0एस0आई0 श्री जगदम्बा गुप्ता द्वारा दोपहिया वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए हेलमेट वितरित किए गए तथा उन्हें हेलमेट के नियमित उपयोग व यातायात अनुशासन का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

महत्वपूर्ण संदेश–
सड़क सुरक्षा के निम्न नियमों का पालन करें -

1. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन अथवा इयरफोन का प्रयोग न करें।
2. नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाना पूर्णतः वर्जित है।
3. दोपहिया वाहन चालक एवं पीछे बैठी सवारी दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
4. चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य है।
5. निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना एवं निर्धारित गति सीमा से अधिक वाहन चलाना दंडनीय अपराध है।
6. दाएँ-बाएँ मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें।
7. दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी न बैठाएँ।
8. वाहन निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें।
9. वाहनों के आगे एवं पीछे रिफ्लेक्टर टेप लगाएँ।
10. एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड वाहन को पहले रास्ता दें।
11. नशा कर वाहन बिल्कुल न चलाएँ।
12. सड़क पर खतरनाक स्टंट न करें।
13. दुर्घटना की स्थिति में घायल की मदद करें एवं तुरंत 112 पर सूचना दें।

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा यातायात माह के दौरान इसी प्रकार सड़क सुरक्षा एवं जन-जागरूकता से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर जारी रहेगा।